[2020] 4 एस.सी.आर. 638

चन्द्र मोहन नेगी एवं अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

(2017 की सिविल अपील संख्या 2813)

अप्रैल 17, 2020

[मोहन एम. शांतनागौदार और

आर. सुभाष रेड्डी, जे.जे.]

हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1997 - सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत शिक्षकों की नियुक्ति - नियमितीकरण - विचाराधीन योजनाएं वर्ष 2001 और 2003 में अधिसूचित की गईं, जिसके तहत प्राथमिक सहायक शिक्षकों और अन्य श्रेणियों के शिक्षकों के संबंध में नियुक्तियां की गईं। - केवल वर्ष 2011 में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा 2012 में चुनौती दी गई - एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका स्वीकार की गई - डिवीजन बेंच द्वारा आदेश को खारिज कर दिया गया - माना गया: यह सच है कि सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक योजनाओं में यह शर्त थी कि ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए। नियमितीकरण/समामेलन की मांग नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही बिना किसी गलती के उन्हें नियमितीकरण/समामेलन से इनकार नहीं किया जा सकता है - यह राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर उनकी सेवाओं को बढ़ाया गया था - अब सभी नियुक्तियों को 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है - वे अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं - इस अस्पष्ट प्रस्तुति को छोड़कर कि ऐसी योजनाएं केवल पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए बनाई गई थीं, इस तरह की प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है - इसके अलावा, अस्पष्ट और असंगत था 2012 में अपीलकर्ताओं की ओर से नियुक्तियों को पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किए बिना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में देरी - रिट याचिकाकर्ताओं ने राज्य के दावों पर विवाद करते हुए प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया, जैसा कि उत्तर हलफनामे में कहा गया है कि कठिन स्थलाकृति/आदिवासी को देखते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, यहां

तक कि एकल शिक्षक स्कूलों में भी बड़ी संख्या में रिक्तियां थीं और 1997 के अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे कदम उठाए गए थे - ऐसी नियुक्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, नीतियों के अनुसार की गई नियुक्तियों को अवैध नहीं कहा जा सकता - कोई मामला नहीं बना उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए - हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहायक अध्यापक/प्राथमिक सहायक शिक्षक (पीएटी) योजना - हिमाचल प्रदेश पैरा शिक्षक (व्याख्याता स्कूल कैडर), पैरा शिक्षक (टीजीटी) और पैरा शिक्षक (सी एंड वी) नीति, 2003 - हिमाचल प्रदेश ग्राम विद्या उपासक योजना, 2001 - सेवा कानून।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

आयोजित: 1.1 जैसा कि योजना से ही स्पष्ट है, योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक को अधिनियमित करते समय सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को स्कूलों में अनिवार्य रूप से नामांकित करना प्रतीत होता है। बच्चों के 100% नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा अधिनियम, 1997। [पैरा 11]

1.2 यह सच है कि सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक योजनाओं में यह शर्त थी कि ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को नियमितीकरण/आमेलन की मांग नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही बिना किसी गलती के उन्हें नियमितीकरण/आमेलन से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य की आवश्यकता को देखते हुए समय-समय पर उनकी सेवाओं को बढ़ाया गया और अब सभी नियुक्त व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत नियुक्त अधिकांश शिक्षकों के लिए लाभ पहले ही बढ़ाया जा चुका था और कुछ बचे हुए उम्मीदवारों को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण लाभ से वंचित कर दिया गया था। प्राथमिक सहायक शिक्षकों के संबंध में, यह कहा गया है कि सभी उम्मीदवारों ने विशेष शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता संक्षिप्त पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 1985 के संदर्भ में 5 साल की निरंतर सेवा के बाद विशेष जेबीटी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में अपीलकर्ताओं की ओर से देरी और एकल शिक्षक स्कूलों को भरने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता के बारे में राज्य द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण के संबंध में, जो बहुत लंबे समय से खाली थे। स्थलाकृतिक स्थितियों के

संबंध में, जो उच्च न्यायालय के समक्ष किसी प्रत्युत्तर के माध्यम से भी विवादित नहीं है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इन मामलों की विशिष्ट परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में व्यक्त किए गए विचार को मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है। सभी नियुक्त उम्मीदवार सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं के अनुसार अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं। इस अस्पष्ट प्रस्तुति के अलावा कि ऐसी योजनाएं केवल पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए बनाई गई थीं, इस तरह की प्रस्तुति के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि ऐसी योजनाओं को 2003 में ही अधिसूचित किया गया था, लेकिन 2012 और 2013 तक किसी ने भी ऐसी नीतियों और नियुक्तियों पर सवाल नहीं उठाया ।रिट याचिका, यानी, 2012-ए की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 3303, वर्ष 2012 में दायर की गई थी नियुक्तियों को पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किए बिना भी। रिट याचिका में राज्य के कथनों पर विवाद करने वाले रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया था जैसा कि उत्तर हलफनामे में कहा गया है। ऐसी नियुक्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, नीतियों के अनुसार की गई नियुक्तियों को अवैध नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। [पैराग्राफ 13]

जम्मू एवं कश्मीर लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम डॉ नरिंदर मोहन एवं अन्य **(1994) 2 एससीसी 630:** ***[1993] 3 सप्ल एससीआर 900;*** *सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (***2006) 4 एससीसी 1: [2006] 3 एससीआर 953;** *लेखा अधिकारी (ए एंड आई) एपी एसआरटीसी और अन्य बनाम पी चंद्र शेखर राव और अन्य* **(2006) 7 एससीसी 488;** *पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, चंडीगढ़ बनाम मनमोहन सिंह और* **अन्य (2007) 9 एससीसी 337: [2007] 2 एससीआर 933 - संदर्भित**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1993] 3 सप्ल एससीआर 900	**को पैरा 8**	**में संदर्भित किया गया है**
[2006] 3 एससीआर 953	**को पैरा 8**	**में संदर्भित करता है**
(2006) 7 एससीसी 488	**को पैरा 8**	**में संदर्भित करता है**
[2007] 2 एससीआर 933	**को पैरा 8**	**में संदर्भित करता है**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2813

2017 का ।

उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.12.2014 से

2012 के एलपीए नंबर 504 में शिमला में हिमाचल प्रदेश के।

साथ

सी.ए. नं. 2814/2017 एवं सी.ए. क्रमांक 2815/2017

पी.एस. पटवालिया, सी.ए. सुंदरम, मनिंदर सिंह, जे.सी. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशांत भूषण, गोविंद जी, सुश्री स्वाति, सतीश कुमार, अनुराग नागर, अभिनव मुखर्जी, अभिषेक गुप्ता, सुश्री रोहिणी मूसा, जफर इनायत, योगेश कुमार माहुर, सुश्री अमिता सिंह कलकल, सुश्री अनुराधा मुताटकर, विक्रांत सिंह बैस, एस.एन. भट्ट, डी.पी. चतुर्वेदी, मनीष कुमार, विजय कुमार, अमित कुमार, अभिनव मुखर्जी, के.के.एल. गौतम, ए.के. सुमन, राहुल मोहोड़, संजीव मल्होत्रा, डॉ. कृष्ण सिंह चौहान, अजीत कुमार एक्का, रवि प्रकाश, चांद किरण, एस.पी. सिंह, आर.एस.एम. कल्कि, विनोद शर्मा, पवन रिले, सजल अवस्थी, आर.के. पांडे, अतुल शर्मा, वरिंदर कुमार शर्मा और देवेंद्र सिंह, उपस्थित पक्षों के लिए सलाहकार ।

न्यायालय का फैसला **आर.सुभाष रेड्डी, जे**. द्वारा सुनाया गया।

1. ये सभी सिविल अपीलें 2012 और बैच के एल.पी.ए. नंबर 504 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच शिमला द्वारा पारित 09.12.2014 के एक सामान्य निर्णय के खिलाफ दायर की गई हैं। उक्त लेटर पेटेंट अपील 2012-ए के सी.डब्ल्यू.पी.नं.3303 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 18.10.2012 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई थी। जब, 2012 के एल.पी.ए.सं.504, 507, 512 और 2014 के 203 में लेटर्स पेटेंट अपीलें दायर की गईं, तो उन्हें समान मुद्दों पर लंबित अन्य संबंधित रिट याचिकाओं के साथ डिवीजन बेंच द्वारा सुना और निपटाया गया।

2. रिट याचिकाएं और पत्र पेटेंट अपीलें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का परिणाम हैं, यानी, हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहायक अध्यापक/प्राथमिक सहायक शिक्षक (पीएटी) योजना; हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर्स (लेक्चरर स्कूल कैडर), पैरा टीचर्स (टीजीटी) और पैरा टीचर्स (सी एंड वी) नीति, 2003 और हिमाचल प्रदेश ग्राम विद्या उपासक

योजना, 2001। ऐसी योजनाएं विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों के विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए बनाई गई थीं। वर्ष 2001 और 2003 के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार श्रेणियाँ।

3. हालाँकि नीतियां और नियुक्तियाँ 2001 और 2003 की थीं, लेकिन तीन व्यक्ति, जिनका नाम चंद्र मोहन नेगी; राजीव चौहान; और राकेश कुमार था, ने वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 2012-ए सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 3303 दायर करके निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है:

"i) कृपया उत्तरदाताओं को भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्ध रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया जाए।

ii) उत्तरदाताओं को प्राथमिक सहायक शिक्षकों को नियमित करने से रोका जा सकता है, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित और तय की गई संवैधानिक योजनाओं और कानून का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया है, साथ ही उत्तरदाताओं को जूनियर की सभी उपलब्ध रिक्तियों का विज्ञापन करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग में बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों को बिना किसी देरी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार भरा जाए और सभी रिक्तियां रिक्तियों के घटित होने के समय उपलब्ध भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार भरी जाएं।

iii) कि उत्तरदाताओं पर लागत का बोझ डाला जा सकता है।

(iv) कृपया मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाए।"

4. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 18.10.2012 द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर कि राज्य द्वारा प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति करके ऐसी नियुक्तियाँ की गईं, जो न्यूनतम आवश्यक शर्तें भी पूरी नहीं करते हैं। भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत निर्धारित योग्यता और राज्य यह दिखाने के लिए कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहा है कि जिन उम्मीदवारों के पास जेबीटी डिग्री है, उन्होंने आदिवासी / कठिन क्षेत्रों में सेवा करने से इनकार कर दिया है, ऐसे शिक्षकों की भर्ती भर्ती और पदोन्नति नियमों के दायरे से बाहर है। बैक डोर एंट्री के लिए, राज्य को हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहायक अध्यापक/प्राथमिक सहायक शिक्षक योजना, 2003 के तहत नियुक्त शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने

और जेबीटी पदों की मौजूदा रिक्तियों को सख्ती से भरने का निर्देश देकर रिट याचिका को अनुमति दे दी है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार। विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य को शिक्षकों को नियमित नहीं करने का निर्देश दिया है।

5. 2012-ए के सी.डब्ल्यू.पी.सं. 3303 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 18.10.2012 के आदेश से व्यथित, प्रभावित/पीड़ित पक्षों, व्यक्तिगत शिक्षकों, प्राथमिक सहायक शिक्षकों के संघ और हिमाचल प्रदेश राज्य ने पत्र दायर किए हैं पेटेंट अपील. उक्त अपीलों पर रिट याचिकाओं के साथ सुनवाई की गई, जिसमें अन्य दो योजनाओं, अर्थात् 2003 की पैरा शिक्षक नीति और 2001 की हिमाचल प्रदेश ग्राम विद्या उपासक योजना के तहत शिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। दिनांक 09.12.2014 के सामान्य आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए लेटर्स पेटेंट अपीलों को अनुमति दे दी है और उन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिन्हें लेटर्स पेटेंट अपीलों के साथ जोड़ दिया गया था। डिवीजन बेंच ने विभिन्न आधारों पर लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति दी है, जैसे:

- यद्यपि नियुक्तियाँ वर्ष 2001 और 2003 के दौरान की गई थीं, रिट याचिकाएँ वर्ष 2012 और 2013 में देर से दायर की गईं और 2012 के सी.डब्ल्यू.पी.नं.3303 में रिट याचिकाकर्ता तब भी योग्य नहीं थे जब नियुक्तियाँ की गईं;

• प्रासंगिक समय पर किसी ने भी योजनाओं के तहत शिक्षकों के चयन पर सवाल नहीं उठाया है, उनकी नियुक्ति के 11 साल बाद रिट याचिकाएं दायर की गईं और रिट याचिकाकर्ताओं ने राज्य की याचिका का खंडन करते हुए कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है जैसा कि पैरा 11 में कहा गया है। रिट याचिका में दायर जवाब में कहा गया है कि जब नियुक्तियां करने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं थे तो राज्य ने नीतियां बनाकर ऐसी नियुक्तियां कीं, विभिन्न योजनाओं के तहत की गई ऐसी नियुक्तियों को अवैध नहीं कहा जा सकता;

• उनके द्वारा प्रदान की गई लंबी सेवा को देखते हुए राज्य के लिए उनकी सेवाओं को नियमित करना हमेशा खुला है;

• राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों की ऐसी नियुक्तियों की पृष्ठभूमि को पर्याप्त रूप से समझाया है और राज्य द्वारा रखी गई सामग्री से पता चला है कि टीजीटी, सी एंड वी, पीटीए आदि संवर्गों में बड़ी संख्या में पद खाली थे;

• बड़ी संख्या में रिक्तियां अभी भी उपलब्ध हैं क्योंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने ब्याज का दावा किया है, ऐसी याचिकाओं पर रिट याचिकाओं को जनहित याचिका के रूप में मानने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है और नियुक्तियों को पार्टी प्रतिवादी भी नहीं बनाया गया है, और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि सभी नियुक्त व्यक्ति एसोसिएशन के सदस्य हैं जिन्हें रिट याचिका आदि में तीसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।

6. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को अन्य एल.पी.ए. और सी.डब्ल्यू.पी. के बीच, 2012 के एल.पी.ए.नं.507 में, 2012 के सी.डब्ल्यू.पी.नं.3303 में रिट याचिका से उत्पन्न होकर, 13 अपीलकर्ताओं द्वारा सिविल अपील दायर करके चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ताओं को अपीलकर्ता संख्या 1 से 3 और अपीलकर्ता संख्या 4 से 13 के रूप में दर्शाया गया है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं हैं, उन्होंने भी अपील दायर की है। इसके बाद अपीलकर्ता क्रमांक 1, 2 और 4 को छोड़कर सभी अपीलकर्ताओं के संबंध में सिविल अपील को वापस ले लिया गया। ऐसा। इसलिए, केवल बचा हुआ उम्मीदवार अपीलकर्ता संख्या 2 है। इसमें कहा गया है कि वह योग्य हैं और पद खाली हैं.

7. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण को सुना है; श्री पी.एस. पटवालिया, हिमाचल प्रदेश राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री सी.ए. सुंदरम और श्री मनिंदर सिंह, निजी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील थे।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने हमें उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेशों और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री की ओर ले जाकर तर्क दिया है कि विभिन्न योजनाएं जिनके तहत नियुक्तियां की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए की गई नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों के विपरीत थी। विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि योग्य और योग्य उम्मीदवार

उपलब्ध थे, नियुक्तियाँ विभिन्न नीतियों के तहत केवल रिक्तियों को पिछले दरवाजे से भरने के लिए की गई थीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि जिन शिक्षकों को नियुक्त किया गया है वे पद संभालने के लिए योग्य नहीं थे और ऐसे उम्मीदवारों को नियमित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि ऐसे अयोग्य उम्मीदवारों को नियमों के विपरीत पदों पर रहने की अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक संस्थानों में मानक कमजोर होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रासंगिक समय पर जेबीटी योग्य व्यक्ति उपलब्ध थे, और इसके बावजूद लागू नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए बिना, विभिन्न योजनाओं के तहत नियुक्तियां की गईं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार आरक्षण के नियम का पालन किए बिना नियुक्तियां की गईं और केवल इस दलील पर कि ऐसे नियुक्तियों को लंबे समय तक जारी रखा गया था, अपने आप में उनकी सेवाओं को नियमित करने का कोई आधार नहीं है। विद्वान वकील - श्री प्रशांत भूषण - ने अपने तर्क के समर्थन में कहा कि जिन नियुक्तियों को नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों के विपरीत अस्थायी आधार/अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। **लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम डॉ. नरिंदर मोहन और अन्य.1; सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य.2; लेखा अधिकारी (ए एंड आई) ए.पी.एसआरटीसी एवं अन्य बनाम पी. चंद्र शेखर राव और अन्य; और पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, चंडीगढ़ बनाम मनमोहन सिंह और अन्य 4।**

9. दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया ने प्रस्तुत किया है कि 2003 की प्राथमिक सहायक शिक्षक योजना (पीएटी योजना) 27 अगस्त 2003 को अधिसूचित की गई थी और उक्त योजना के तहत, प्राथमिक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षण जनशक्ति की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा उस क्षेत्र में जहां प्राथमिक विद्यालय स्थित था। योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1997 को लागू करने में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे शिक्षक प्रदान करके बच्चों को प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूलों में अनिवार्य रूप से नामांकित करना था। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी नियुक्तियाँ की गई थीं 2000/- रुपये मासिक

पारिश्रमिक पर और जुलाई 2013 में मानदेय बढ़ाकर 8900/- रुपये कर दिया गया। विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी 3294 उम्मीदवार जो अब काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा की व्यावसायिक योग्यता हासिल कर ली है या प्राथमिक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम से गुजर चुके हैं। इसी प्रकार, राज्य की नीति दिनांक 17.09.2003 के तहत लगे पैरा शिक्षकों के लिए, नीति में शास्त्रीय और स्थानीय भाषा के शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, डी.पी.ई. (स्कूल कैडर), यानी, शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वाले शिक्षक और व्याख्याता शामिल हैं। स्कूल कैडर). यह प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक इस योजना का संबंध है, नीति के अनुसार पैरा शिक्षकों के पद के लिए योग्यता प्रासंगिक समय पर लागू भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, पैरा शिक्षक के रूप में भर्ती होने वाले सभी व्यक्ति लागू भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार पूरी तरह से योग्य हैं। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया है कि योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों की तीसरी श्रेणी भी भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करती है। ऐसे में, आठ साल की सेवा पूरी करने के बाद ऐसे शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर लेने के लिए 31.07.2013 को एक कैबिनेट निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में कैबिनेट के फैसले दिनांक 27.12.2014 द्वारा घटाकर सात साल कर दिया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि 6799 शिक्षकों में से 5017 शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा अनुबंध के आधार पर लिया गया था, केवल 1782 व्याख्याताओं को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के मद्देनजर नहीं लिया जा सका। यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि, सभी शिक्षक सेवा नियमों के तहत आवश्यक सभी योग्यताएं पूरी करते हैं। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी नियुक्तियाँ तब की गईं जब ऐसी योजनाओं की घोषणा की गई थी और पीटीए शिक्षकों को अंतिम बार 2008 तक नियुक्त किया गया था और 2008 से सेवा नियमों के अनुसार नियमित नियुक्तियाँ की गई हैं।

10. श्री सी.ए. सुंदरम और श्री मनिंदर सिंह, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के समर्थन में वैध और पर्याप्त कारण दर्ज किए हैं और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी नियुक्तियों ने अब तक 15 साल की सेवा पूरी कर ली है और ऐसी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत की गई थीं, जब वे शिक्षकों की नियमित रिक्तियों को भरने में असमर्थ थे, ऐसे में, ऐसी नियुक्तियाँ जारी नहीं रखी जा सकतीं। हमेशा के लिए अल्प वेतन पर, जो उन्हें दिया जा

रहा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और एकल शिक्षक स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, ऐसी योजनाएं बनाई गईं और रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी योजनाओं और नियुक्तियों पर देर से सवाल उठाने से नियुक्ति को नियमित करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

11. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन योजनाएं वर्ष 2001 और 2003 में अधिसूचित की गई थीं, जिसके तहत प्राथमिक सहायक शिक्षकों और अन्य श्रेणियों के शिक्षकों के संबंध में नियुक्तियां की गई थीं। प्रासंगिक समय पर किसी ने भी योजनाओं या नियुक्तियों पर सवाल नहीं उठाया है। यह प्रतिवादी का विशिष्ट मामला है - बताएं कि ऐसी नियुक्तियों से रिट याचिकाकर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और विभाग लंबे समय तक शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों को छोड़ने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इससे छात्रों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता। इसलिए, यह राज्य का मामला था कि शिक्षकों को उस समय विभिन्न योजनाओं के तहत नियुक्त किया गया था और ऐसी नियुक्तियाँ वर्ष 2007 तक की गई थीं और अपीलकर्ताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना दो साल का जेबीटी प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। वर्ष 2011। जैसा कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित अपील के तहत आदेश से स्पष्ट है, अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रत्युत्तर दाखिल करने का विकल्प भी नहीं चुना है और इस प्रकार राज्य द्वारा लिया गया रुख निर्विवाद बना हुआ है। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब ऐसी नियुक्तियाँ वर्ष 2001 और 2003 के दौरान की गईं तो रिट याचिकाएँ वर्ष 2012 और 2013 में दायर की गईं। चूँकि रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी नियुक्ति के लिए ब्याज का दावा किया है, इसलिए रिट याचिकाएँ दायर की गईं। हाई कोर्ट ने सही कहा है कि ऐसी याचिकाओं को जनहित याचिका नहीं माना जा सकता। ऐसी रिट याचिका जो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी, जो केवल वर्ष 2011 में योग्य हुए थे, नियुक्तियों पर सवाल उठाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में अस्पष्टीकृत खामियों और लगभग 10 साल से अधिक की अत्यधिक देरी के आधार पर किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। यद्यपि नियोजित शिक्षकों को नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने के लिए राज्य के खिलाफ राहत की मांग की गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। एक एसोसिएशन को तीसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत किए बिना कि कम से कम अधिकांश

नियुक्त व्यक्ति ऐसे एसोसिएशन के सदस्य हैं। जहां तक 2003 की प्राथमिक सहायक शिक्षक योजना का सवाल है, जो चंद्र मोहन नेगी और अन्य द्वारा दायर 2012-ए के सी.डब्ल्यू.पी.नं.3303 से उत्पन्न पत्र पेटेंट अपील का विषय था, 2017 की सिविल अपील संख्या 2813 में अपीलकर्ता अपीलकर्ता संख्या 1, 2 और 4 को छोड़कर अपील वापस ले ली गई है और अपीलकर्ता संख्या 1 और 4 को पहले ही जेबीटी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। जहां तक एकमात्र अपीलकर्ता, यानी अपीलकर्ता नंबर 2 - राजीव चौहान - का संबंध है, यह कहा गया है कि वह योग्य है और रिक्त पद हैं और यदि वह मौजूदा रिक्तियों में से किसी के लिए आवेदन करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक प्राथमिक सहायक शिक्षक योजना का सवाल है, इसे 27 अगस्त 2003 को ही अधिसूचित किया गया था। जैसा कि योजना से ही स्पष्ट है, योजना का उद्देश्य प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को स्कूलों में अनिवार्य रूप से नामांकित करना प्रतीत होता है। बच्चों के 100% नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1997 को लागू करते समय सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में। योजना के अनुसार, पात्रता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 थी और उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र थे और पेशेवर योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी थी। नियमित भर्ती नियमों के अनुसार प्रासंगिक समय के दौरान जेबीटी शिक्षक के पद के लिए अपेक्षित योग्यता 50% अंकों के साथ 10+2 और जेबीटी प्रमाणपत्र थी। जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि शुरुआत में हालांकि 3500 विषम शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, अब तक इस श्रेणी में कुल 3294 शिक्षक ही कार्यरत हैं और इनमें से लगभग 1866 के पास 10+2 की योग्यता थी। संलग्नता के प्रासंगिक बिंदु पर 50% अंक। शेष 1015 में से 10+2 में 50% से कम अंक थे, लेकिन उनके पास उच्च योग्यता जैसे बी.ए./एम.ए./एम.एससी थी। या बी.एड. आदि। इसके अलावा, यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि सभी उम्मीदवारों में से वर्तमान में कार्यरत 3294 उम्मीदवारों ने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा की व्यावसायिक योग्यता हासिल कर ली है या प्राथमिक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम से गुजर चुके हैं। मामले को देखते हुए हमारा मानना है कि जब योजना के तहत नियुक्त किए गए लोगों ने अब लगभग 15 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है और पेशेवर योग्यता भी हासिल कर ली है, तो उन्हें इस समय नियमितीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूँकि नियुक्तियाँ सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं के अनुसार की गई थीं, इसलिए ऐसी नियुक्तियों को अवैध नहीं माना जा सकता है, यदि उन्हें

अनियमित भी माना जा सकता है। जब राज्य की यह दलील है कि राज्य में कठिन स्थलाकृति/जनजातीय क्षेत्रों को देखते हुए, यहां तक कि एकल शिक्षक स्कूलों में भी बड़ी संख्या में रिक्तियां थीं और हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1997 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे कदम उठाए गए थे। राज्य की ओर से दायर जवाब में आरोपों का खंडन करने वाले उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्युत्तर के माध्यम से किसी भी हलफनामे के अभाव में, इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

12. पैरा शिक्षक नीति के संबंध में भी, जिसके तहत 17.09.2003 को अधिसूचित नीति के अनुसार वर्ष 2003 में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, इस न्यायालय के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति जो पैरा शिक्षक के रूप में भर्ती किए गए थे। भर्ती और पदोन्नति नियमों, यानी, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग वर्ग-III (स्कूल और निरीक्षण कैडर) सेवा नियम, 1973 के अनुसार पूरी तरह से योग्य। राज्य के रुख को देखते हुए कि बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण ऐसी नीति आवश्यक थी। जो पद साल-दर-साल निकलते रहे हैं और जो शिक्षकों के चयन के लिए जिम्मेदार राज्य चयन उपमंडल बोर्ड, हमीरपुर के संकट के घेरे में आ जाने और चयन प्रक्रिया रुक जाने के बाद से भरे नहीं जा सके, ऐसी नियुक्तियाँ नहीं की जा सकतीं। गैरकानूनी। ऐसा पहलू नीति से भी स्पष्ट होता है। अभिभावक शिक्षक संघ नियमों की अनुदान सहायता की अन्य श्रेणी में भी, योजना के तहत नियुक्त सभी शिक्षक नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए कैबिनेट ने आठ साल की सेवा पूरी करने के बाद अनुबंध के आधार पर सेवा लेने का निर्णय लिया है, जिसकी अवधि बाद में घटाकर सात साल कर दी गई। बहस के दौरान हमारे ध्यान में यह भी लाया गया कि कुल 6799 शिक्षकों में से 5017 शिक्षकों को पहले ही राज्य सरकार द्वारा अनुबंध के आधार पर ले लिया गया था और केवल 1782 को इसके द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के मद्देनजर नहीं लिया जा सका था। अदालत।

13. यह सच है कि सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक योजनाओं में यह शर्त थी कि ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को नियमितीकरण/आमेलन की मांग नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही बिना किसी गलती के उन्हें नियमितीकरण/आमेलन से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य की आवश्यकता को देखते हुए समय-समय पर उनकी सेवाओं को बढ़ाया गया और अब सभी नियुक्त व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत नियुक्त अधिकांश शिक्षकों के लिए लाभ पहले ही बढ़ाया जा चुका था और कुछ बचे हुए उम्मीदवारों को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण लाभ से वंचित

कर दिया गया था। प्राथमिक सहायक शिक्षकों के संबंध में, यह कहा गया है कि सभी उम्मीदवारों ने विशेष शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता संक्षिप्त पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 1985 के संदर्भ में 5 साल की निरंतर सेवा के बाद विशेष जेबीटी प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है। विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण भी यहां अपीलकर्ताओं के मामले में कोई सहायता नहीं देंगे क्योंकि अपीलकर्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और राज्य द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण के संबंध में अस्पष्ट और अत्यधिक देरी हुई थी। स्थलाकृतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बहुत लंबे समय से खाली पड़े एकल शिक्षक विद्यालयों को भरने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है, जो कि उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रत्युत्तर के माध्यम से भी विवादित नहीं है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इन मामलों की विशिष्ट परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में व्यक्त किए गए विचार को मामले के मौजूदा तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है। सभी नियुक्त उम्मीदवार सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं के अनुसार अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं। इस अस्पष्ट प्रस्तुति के अलावा कि ऐसी योजनाएं केवल पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए बनाई गई थीं, इस तरह की प्रस्तुति के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। इसके अलावा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि ऐसी योजनाओं को 2003 में ही अधिसूचित किया गया था, लेकिन 2012 और 2013 तक किसी ने भी ऐसी नीतियों और नियुक्तियों पर सवाल नहीं उठाया। रिट याचिका, यानी 2012-ए की सी.डब्ल्यू.पी.नंबर 3303 वर्ष में दायर की गई थी। 2012 में नियुक्त लोगों को पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किए बिना भी। रिट याचिका में राज्य के कथनों पर विवाद करने वाले रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया था जैसा कि उत्तर हलफनामे में कहा गया है। ऐसी नियुक्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, नीतियों के अनुसार की गई नियुक्तियों को अवैध नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में दर्ज किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है।

14. उपरोक्त कारणों से, ये सभी अपीलें लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज की जाती हैं।

दिव्या पांडे अपील खारिज।

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।